v/;k; & uk

vfu;fer i.dj.k

<u>प्रकरण क्रमांक –1</u>

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक बी–3/163/2000/2/एक, दि 08.02.2006 के द्वारा एक राज्य प्रशासनिक सेवा, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर के विरूद्ध तीन आरोपों पर की गई विभागीय जांच के फलस्वरूप सिद्ध पाये गये आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें उनके वर्तमान वेतनमान के निम्नतर समयमान में लाये जाने एवं इस अवधि में उन्हें कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगी, की शास्ति अधिरोपित किए जाने के अनंतिम निर्णय पर प्रकरण में आयोग की राय चाही गई थी । प्रकरण के परीक्षणोपरांत आयोग के पत्र क्रमांक 85/322/2005/जी.एस., दिनांक 05.04.2006 द्वारा विभाग के उक्त प्रस्ताव पर आयोग की सहमति व्यक्त की गई । तद्नुसार विभाग द्वारा अपचारी अधिकारी को सेवा से अवनत करते हुए उनके वर्तमान वेतनमान के निम्नतर समयमान में लाये जाने तथा इस अवधि में उन्हें कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगी, की शास्ति अधिरोपित करने के दण्डादेश दिनांक 19.05.2006 को जारी किये जाकर प्रति आयोग को पृष्ठांकित की गई ।

2/ अपचारी अधिकारी द्वारा विभाग के दण्डादेश दिनांक 19.05.2006 के विरूद्ध महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत अपील में उठाये गये मुद्दों के परीक्षण पश्चात् विभाग द्वारा अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विभाग के दण्डादेश दिनांक 19.05.2006 द्वारा अधिरोपित की गई शास्ति के स्थान पर आरोपी अधिकारी को परिनिंदा की शास्ति दिए जाने का अनंतिम निर्णय लेकर अपील प्रकरण माह जनवरी, 2007 में आयोग के अभिमत हेतु भेजा गया। प्रकरण के पूर्ण परीक्षण पश्चात् आयोग के पत्र क्रमांक 13430/281/2006/जीएस, दिनांक 01.08.2007 द्वारा यह अभिमत दिया गया कि अपचारी अधिकारी के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आयोग के पत्र दिनांक 05.04.2006 द्वारा अपचारी अधिकारी को अवनत करते हुए वर्तमान वेतनमान के निम्नतर समयमान में लाये जाने तथा इस अवधि में उन्हें कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगी के शासन प्रस्ताव पर आयोग द्वारा पूर्व में दिये गये अभिमत/सहमति में परिवर्तन किए जाने का कोई औचित्य नहीं पाया जाता है । अतः आयोग द्वारा अपीलार्थी की अपील अमान्य की जाने को उचित पाते हुए विभाग को सूचित किया गया था।

3/ प्रकरण में आयोग द्वारा दिये गये अभिमत के पश्चात् विभाग द्वारा प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त किया जाकर आयोग द्वारा दी गई राय/अभिमत से असहमत होते हुए विभाग ने अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करे हुए पूर्व में दी गई शास्ति के स्थान पर 'परिनिंदा' की शास्ति दिए जाने के आदेश दिनांक 1812.2007 को जारी किये, किन्तु इस दण्डादेश में विभाग द्वारा आयोग की राय से असहमत होने के कोई उचित कारणों का उल्लेख नहीं किया गया, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी–6–3/97/3/1, दिनांक 18.03.1997 के अनुकूल नहीं है ।

2/ अतः आयोग, विभाग द्वारा की गई इस अनियमित कार्यवाही की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करता है ।

<u>प्रकरण क्रमांक –2</u>

उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ–17–40/2/अड़तीस, दि. 06.01.2006 द्वारा एक सहायक प्राध्यापक (प्रभारी प्राचार्य) भूगोल द्वारा कर्तव्यों में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता अपनाये जाने के कारण आरोपी के विरूद्ध तीन आरोपों पर की गई अनुशासनिक कार्रवाई के फलस्वरूप एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का अनंतिम निर्णय लेकर प्रकरण आयोग की राय हेतु भेजा गया था । प्रकरण के परीक्षणोपरांत आयोग के पत्र क्रमांक 515/351/2005/जीएस, दिनांक 26.04.2006 द्वारा आरोपी की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के शासन के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई । तद्नुसार शासन ने आरोपी की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्डादेश दिनांक 22.06.2006 को जारी किये थे, किन्तु इस आदेश की प्रति आयोग को पृष्ठांकित नहीं की गई । विभाग के दण्डादेश दि. 22.06.2006 के विरूद्ध आरोपी अधिकारी द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को अपील प्रस्तुत की गई जिसे विभाग ने अपने स्तर से ही अमान्य किए जाने के आदेश दिनांक 21.02.2007 को जारी करे हुए प्रति आयोग को पृष्ठांकित की गई ।

2/ चूंकि अपील प्रकरण में आयोग की राय/सहमति प्राप्त किए बिना ही अपील अमान्य किए जाने के अंतिम आदेश दि. 21.02.2007 को जारी किये गये, अतः आयोग के पत्र दि. 04.04.2007 द्वारा विभाग से इस संबंध में जानकारी चाही गई थी कि शासनादेश के विरूद्ध महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत अपील पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 27 (ग) (दो) (एक) के प्रावधानानुसार अपील प्रकरण में अंतिम आदेश जारी किए जाने क पूर्व आयोग की राय / सहमति क्यों नहीं प्राप्त की गई ? इस संबंध में

विभाग ने पत्र दिनांक 13.02.2008 द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि अपील में सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा कोई ठोस औचित्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण विचारोपरांत अपील अमान्य करने के आदेश दिनांक 21.02.2007 को जारी किये गये । विभाग के आदेश दिनांक 22.06.2006 में दिये गये दण्ड में अपील पश्चात् कोई परिवर्तन नहीं किया गया था । इस कारण से अपील प्रकरण आयोग की राय हेतु नहीं भेजा गया ।

3/ विभाग द्वारा अपील प्रकरण में आयोग की राय / सहमति प्राप्त नहीं किए जाने के संबंध में उक्त कथन नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता है ।

4/ अतः विभाग द्वारा की गई इस अनियमित कार्यवाही की ओर आयोग शासन का ध्यान आकर्षित करता है ।

<u>प्रकरण क्रमांक –3</u>

राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ–7–57/98/सात/शा.4ए/1741, दिनांक 27.06.2005 एवं 27.12.2005 द्वारा एक सेवा निवृत्त तहसीलदार के विरूद्ध 03 आरोप एवं 03 अतिरिक्त आरोपों के संबंध में की गई विभागीय जांच के फलस्वरूप 10 प्रतिशत पेंशन रोकने के लिए गये अनंतिम निर्णय पर आयोग की राय हेत प्रकरण भेजा गया था । प्रकरण के परीक्षरोपरांत आयोग के पत्र क्रमांक 22100/285/2005/जीएस, दिनांक 15.02.2006 द्वारा अपचारी अधिकारी की पेंशन से 10 प्रतिशत पेंशन (स्थाई रूप से) रोके जाने के शासन के प्रस्ताव पर आयोग की सहमति से विभाग को अवगत कराया गया था । आयोग द्वारा दिये गये अभिमत के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण वित्त विभाग द्वारा कराये जाने पर उन्होंने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए दण्ड को कम निरूपित किया तथा 25 प्रतिशत पेंशन रोकने का मत दिया । प्रकरण में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 (1) के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किये जाने पर शासन ने अपचारी अधिकारी की 50 प्रतिशत पेंशन राशि स्थाई रूप से कटौती किए जाने की शास्ति अधिरोपित करने के दण्डादेश दिनांक 17.08.2007 को जारी करते हुए प्रति आयोग को पृष्ठांकित की गई ।

2/ यह उल्लेख है कि शासन ने प्रकरण में आरोपी की 10 प्रतिशत पेंशन रोके जाने के अनंतिम निर्णय पर आयोग की सहमति प्राप्त करने के उपरांत, आरोपी को दी जाने वाली शास्ति में वृद्धि करते हुए उनकी 50 प्रतिशत पेंशन रोकने के दण्डादेश जारी किये हैं, किन्तु इस दण्डादेश में शास्ति में वृद्धि किए जाने अथवा आयोग की राय / सहमति के विपरीत आदेश जारी किए जाने के कोई कारण नहीं बताये हैं । यदि शासन को शास्ति में वृद्धि करना आवश्यक

था तो उसके पर्याप्त कारण बताते हुए प्रकरण में आयोग की सहमति प्राप्त की जानी चाहिये थी, जो कि विभाग द्वारा नहीं की गई है ।

3/ विभाग द्वारा की गई उपरोक्तानुसार कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी–6–3/97/3/1, दिनांक 18.03.1997 के अनुकूल नहीं है ।

2/ प्रकरण में विभाग द्वारा की गई इस अनियमित कार्यवाही की ओर आयोग शासन का ध्यान आकर्षित करता है ।

<u>प्रकरण क्रमांक –4</u>

उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ–17–7/2002/2/38, दिनांक 25.09.2006 द्वारा एक सेवा निवृत्त प्राचार्य के विरूद्ध लोकायुक्त कार्यालय द्वारा पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 70/2002 में माननीय विशेष न्यायालय देवास द्वारा पारित किए गए निर्णय दिनांक 12.04.2006 द्वारा दंडित किए जाने के फलस्वरूप आरोपी की पेंशन में 10 प्रतिशत पांच वर्ष के लिये कटौती किए जाने के अनंतिम निर्णय पर प्रकरण आयोग की राय चाही गई थी । प्रकरण के परीक्षणोपरांत आयोग के पत्र क्रमांक 18961/220/2006/जीएस, दिनांक 29.11.2006 द्वारा आरोपी की पेंशन में 10 प्रतिशत की राशि पांच वर्ष तक के लिए कटोती करने के शासन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई थी । तत्पश्चात् शासन ने विभाग के प्रस्ताव पर आयोग द्वारा दी गई सहमति का उल्लेख करते हुए आरोपी सेवा निवृत्त प्राचार्य की पेंशन स्थाई रूप से रोकने के दण्डादेश दिनांक 28.03.2007 को जारी कर प्रति आयोग को पृष्ठांकित की गई । प्रकरण में विभाग के प्रस्ताव पर आयोग द्वारा दी गई सहमति के विपरीत विभाग द्वारा आरोपी की पेंशन स्थाई रूप से रोकने के दण्डादेश जारी किए गये जिसमें आयोग की राय से असहमति के कोई कारण भी नहीं बताये गये । अतः आयोग के पत्र दिनांक 09.05.2007 द्वारा उपरोक्त संबंध में शासन से जानकारी चाही गई थी कि विभाग द्वारा आरोपी की पेंशन स्थाई रूप से रोके जाने के प्रस्ताव पर आयोग की राय / सहमति क्यों नहीं प्राप्त की गई तथा विभाग द्वारा जारी दण्डादेश में आयोग की राय से असहमति के कोई कारण भी नहीं बताये गये, की स्पष्ट जानकारी चाही गई थी। विभाग ने अपने पत्र दिनांक 29.06.2007 द्वारा यह बताया कि प्रकरण मंत्रि परिषद् के विचारार्थ रखा गया, जिसमें मंत्रि परिषद् के निर्णय अनुसार आरोपी की पेंशन स्थाई रूप से रोकने के दण्डादेश दिनांक 28.03.2007 को जारी किये गये है ।

3/ प्रकरण में शासन द्वारा बताई गई स्थिति / कारण पर्याप्त नहीं है एवं सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी–6–3/97/3/1, दिनांक 18.03.1997 के अनुकूल भी नहीं है ।

अतः प्रकरण में विभाग द्वारा की गई इस अनियमित कार्यवाही की ओर आयोग शासन का ध्यान आकर्षित करता है ।

<u>प्रकरण क्रमांक –5</u>

वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–09/04/2007/10–1, दिनांक 11.04.2007 द्वारा एक सेवा निवृत्त वन क्षेत्रपाल द्वारा वन परिक्षेत्र तारादेही में पदस्थापना के दौरान की गई अनियमितताओं के लिये उनके विरूद्ध एक आरोप पर की गई विभागीय जांच के फलस्वरूप पेंशन नियमों के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए उनकी पेंशन की राशि से 10 प्रतिशत की कटौती तीन वर्ष के लिये किए जाने का अनंतिम निर्णय लेकर प्रकरण आयोग की राय / सहमति हेतु भेजा गय था । प्रकरण के परीक्षणोपरांत आयोग के पत्र क्रमांक 7579/27/2007/जीएस, दिनांक 2106. 2007 द्वारा आरोपी के दोष को दृष्टिगत रखते हुए सेवा निवृत्त वन क्षेत्रपाल की पेंशन से 10 प्रतिशत की कटोती तीन वर्ष के लिये किए जाने के शासन के प्रस्ताव पर आयोग की सहमति से विभाग को अवगत कराया गया । आयोग की सहमति उपरांत विभाग द्वारा प्रकरण में मंत्रि परिषद् की बैठक दिनांक 07.01.2008 में लिये गये निर्णय अनुसार आरोपी सेवा निवृत्त वन क्षेत्रपाल का प्रकरण केवल चेतावनी देते हुए बिना किसी दण्ड के समाप्त करने के आदेश दिनांक 2401.2008 को जारी करते हुए प्रति आयोग को पृष्ठांकित की गई ।

2/ यह उल्लेख है कि आरोपी की 10 प्रतिशत पेंशन तीन वर्ष के लिए कटौती किए जाने का प्रस्ताव विभाग ने ही आयोग की सहमति हेतु भेजा था और विभाग के इस प्रस्ताव पर आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी । किन्तु विभाग ने आयोग द्वारा दी गई सहमति के विपरीत आरोपी को चेतावनी देकर प्रकरण बिना किसी दण्ड के समाप्त करने के आदेश दिनांक 2401. 2008 को जारी किये हैं तथा इस आदेश में आयोग की राय / सहमति को अमान्य किए जाने के कोई कारण नहीं बताये गये है, जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 17 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी–6–3/97/3/1, दिनांक 18.3.1997 के अनुकूल नहीं है ।

2/ प्रकरण में विभाग द्वारा की गई इस अनियमित कार्यवाही की ओर आयोग शासन का ध्यान आकर्षित करता है ।

प्रकरण क्रमांक –6

जल संसाधन विभाग के पत्र क्रमांक 15 (बी)07/2004/पी–2/31, दिनांक 02.05.2005 द्वारा एक तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 29/94 में माननीय विशेष न्यायालय, रीवा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.2003 के परिप्रेक्ष्य में आरोपी को अनिवार्य सेवा निवृत्त किए जाने का अनंतिम निर्णय लेकर प्रकरण आयोग के अभिमत हेतु भेजा गया था । प्रकरण के परीक्षण उपरांत आयोग के पत्र क्रमांक 5514/30/05/जीएस, दिनांक 27.07.2005 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 08.02.1999 के निर्देशानुसार आरोपी को अनिवार्य सेवा निवृत्त किए जाने के प्रस्ताव के स्थान पर उन्हें सेवा से पदच्युत (डिसमिस) किए जाने की राय दी गई, तद्नुसार विभाग के दण्डादेश दिनांक 21.11.2005 द्वारा आरोपी को सेवा से पदचयुत किया गया । आरोपी द्वारा विभाग के दण्डादेश दिनांक 21.11.2005 के विरूद्ध महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत की गई अपील दिनांक 23.01.2006 में उठाये गये बिन्दुओं के परीक्षण पश्चात् विभाग द्वारा अपीलार्थी की अपील अमान्य करने के निर्णय पर माननीय मुख्यमंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त कर अपील अमान्य किए जाने के आदेश दिनांक 12.06.2007 को जारी किए जाकर पृष्ठांकित प्रति आयोग को भेजी गई ।

2/ यहां उल्लेख है कि प्रकरण में आयोग की राय से सहमत होकर शासन ने आरोपी को सेवा से पदच्युत करने के दण्डादेश दिनांक 21.11.2005 को जारी किये थे, जिसके विरूद्ध आरोपी द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत की गई अपील दिनांक 23.01.2006 को शासन ने अपने स्तर पर ही अमान्य करने के आदेश दिनांक 12.06.2007 को जारी कर दिये हैं । अपीलार्थी द्वारा शासन के दण्डादेश के विरूद्ध महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत अपील पर अंतिम आदेश जारी किए जाने के पूर्व अपील प्रकरण में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 27 (एक) के अनुसार आयोग की राय / सहमति प्राप्त की जाना चाहिये थी, जबकि विभाग द्वारा इस प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया । इस संबंध में दिनांक 05.09.2007 द्वारा की गई पृच्छा के संबंध में विभाग के पत्र दिनांक 04.01.2008 द्वारा यह बताया गया कि अपील प्रकरण में अपनाई गई प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 08.04.1999 के अनुसार समन्वय में माननीय मुख्यमंत्रीजी के आदेश उपरांत अपीलार्थी की अपील अमान्य की गई है ।

3/ यह उल्लेख है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 27 (एक) के प्रावधान अनुसार नियम 10 में उल्लेखित की गई शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश के विरूद्ध की गई अपील के उन समस्त मामलों में आयोग से परामर्श किया जायेगा जहां कि ऐसा परामर्श आवश्यक हो । किन्तु उक्त नियम / प्रक्रिया का पालन इस प्रकरण में विभाग द्वारा नहीं किया गया है ।

4/ अपील प्रकरण में की गई इस अनियमित कार्यवाही की ओर आयोग शासन का ध्यान आकर्षित करता है ।

<u>प्रकरण क्रमांक –7</u>

जल संसाधन विभाग के पत्र क्रमांक 16 (ए)14/95/पी–2/31, दिनांक 27.12.2003 एवं 31.03.2004 द्वारा एक सहायक यंत्री द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय जांच में पारित दण्डादेश दिनांक 14.6.2001 के विरूद्ध महामहिम राज्यपाल महोदय / शासन के समक्ष प्रस्तत की गई अपील दिनांक 19.12.2001 के परीक्षण पश्चात् अपील अमान्य किए जाने के अनंतिम निर्णय पर प्रकरण में आयोग की राय चाही थी । प्रकरण के परीक्षण पश्चात् आयोग के पत्र क्रमांक 16845/265/2003/जीएस, दिनांक 03.03.2004 द्वारा अपूर्ण अभिलेख विभाग को वापस लौटाते हुए विभागीय जांच से संबंधित समस्त मूल अभिलेख एवं अपील में उठाये गये बिन्दुओं पर विभाग की बिन्दुवार टीप, विवरण पत्रक, एवं अपील प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों के साथ प्रकरण आयोग की राय हेतु भेजने का निवेदन किया गया था । इस संबंध में निरंतर पत्र व्यवहार के बाद विभाग ने अपने पत्र दिनांक 20.02.2007 द्वारा प्रकरण मय अभिलेखों के आयोग को उपलध नहीं कराते हुए यह अवगत कराया कि अपचारी सहायक यंत्री द्वारा प्रस्तुत अपील समयबाधित होने से अमान्य किए जाने का अनुमोदन है, जबकि अपील समयबाधित होने से विचारण योग्य ही नहीं थी । संभवतः त्रुटिवश पूर्व में आयोग को प्रेषित किया गया था । अतः विभाग ने यह उल्लेख किया कि अपील समयबाधित होने से विचार योग्य नहीं थी और तद्नुसार अस्वीकार /अमान्य की गई है ।अतः प्रकरण लोक सेवा आयोग के अभिमत हेतु भेजने का कारण नहीं है। अतः अपील प्रकरण शासन स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया है ।

2/ उपरोक्त के संबंध में यह उल्लेख है कि शासन के शास्ति आदेश दिनांक 14.06.2001 के विरूद्ध अपीलार्थी सहायक यंत्री द्वारा अपील दिनांक 19.12.2001 को नियमानुसार 45 दिवस के पश्चात् प्रस्तुत की गई । इस बात का संज्ञान विभाग को पूर्व में भी था, बावजूद इसके अपील स्वीकार की जाकर उसके परीक्षण पश्चात! अपील अमान्य किए जाने का अनंतिम निर्णय लेकर प्रकरण में आयोग की राय चाही गई थी ˙ इस संबंध में आयोग द्वारा चाही गई जानकारी / अभिलेख उपलब्ध नहीं कराते हुए विभाग ने लगभग 3 वर्ष के उपरांत आयोग को अवगत कराया गया कि अपीलार्थी की अपील समयबाधित होने के कारण विचार योग्य नही थी तद्नुसार अस्वीकार / अमान्य की गई है । अतः प्रकरण आयोग के अभिमत हेतुं भेजने का कारण नहीं है। इसलिए प्रकरण शासन स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया है ।

3/ विभाग द्वारा इस प्रकरण में की गई उपरोक्तानुसार अनियमित कार्यवाही की ओर आयोग शासन का ध्यान आकर्षित करता है ।